

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज

दिनांक- सितम्बर 13, 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***62 वाहनों का चालान व 29 वाहनों से कुल 20900/-रूपया शमन शुल्क वसूल*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया। ***व 01 वाहन को सीज कर*** आवश्यक कार्यवाही की गयी।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घूमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा ***188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 16*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व ***मास्क न लगाने वाले कुल- 185 व्यक्तियों से 18500/- रुपये शमन शुल्क*** वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से ***कुल- 23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध की गई कार्यवाही:- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते

हुए कुल-01 अभिगण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 05 ली0 कच्ची शराब, की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता लंगही देवी पत्नी रामपतन नि0 मैनहवा थाना नौतनवा के कब्जे से *05 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0- 214/20, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया ।

आर्म्स एक्ट मे की गयी कार्यवाही:-

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अभिषेक त्रिपाठी पुत्र सुरजन नि0 धनेवा धनेई थाना कोतवाली के कब्जे से *1 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0- 441/20, धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट * का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया ।

कस्टम एक्ट मे की गयी कार्यवाही:-

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त कृष्णा जायसवाल पुत्र राजकुमार सा0 महुआरी थाना नौतनवा के कब्जे से *सेन्ट्रो कार मे लदा 100 किलोग्राम मटर दाल व 340 किलोग्राम मटर बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0- निल/20, धारा- 3/11 कस्टम अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया ।

पशु क्रूरता एक्ट मे की गयी कार्यवाही:-

थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र , रामचन्दर पुत्र रामबेलास नि0गण कैलाशनगर थाना सोनौली के कब्जे से *01 पीकप पर 26 अदद बकरो को क्रूरता पूर्वक लादकर ले जाने पर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0- 229/20, धारा- 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया ।

कॉपी राइट एक्ट मे की गयी कार्यवाही:-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण रणजीत चौधरी पुत्र सम्हारु सा0 बढाडीह विशाल पुत्र भगन सा0 मारवाडी मोहल्ला थाना निचलौल के कब्जे से *ऊषा कम्पनी का नकली पंखा असली के रूप में बेचना व अभियुक्तगण के पास से 03 अदद नकली सिलिंग फैन व 01 अदद पंखी बरामद कर थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0- 383/20, धारा- 63/65 कॉपी राइट अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए ***कुल-14*** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 12/13-09-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 27 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।